



सतत विकास लक्ष्य - 4 (एसडीजी-4) को प्राप्त करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका: एक समीक्षा

डॉ. निशांत शर्मा

सहायक अध्यापक (बेसिक शिक्षा विभाग)

ई-मेल: nishant151sharma@gmail.com

Orcid id: <https://orcid.org/0000-0002-6122-6121>

सारांश:

सतत विकास लक्ष्य - 4 (एसडीजी-4) का उद्देश्य समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करना है। भारत में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने, समानता बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तैयार की गई है। इस समीक्षा पत्र में एनईपी 2020 के प्रमुख प्रावधानों और उनके एसडीजी-4 के साथ संरेखण का विश्लेषण किया गया है।

एनईपी 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई), स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। यह नीति बहुभाषी शिक्षा, डिजिटल शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में नवाचारों को बढ़ावा देती है। साथ ही, यह सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, लड़कियों और विकलांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।

इस पत्र में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की चुनौतियों और अवसरों पर भी चर्चा की गई है। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि एनईपी 2020 एसडीजी-4 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, बशर्ते इसका प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जाए। इसके लिए सरकार, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदायों के बीच सहयोग आवश्यक है।

कुंजीशब्द: सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी-4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समावेशी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आजीवन सीखना।

I. सतत विकास लक्ष्य - 4 (एसडीजी-4) का संक्षिप्त परिचय:

15 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में '2030 सतत विकास लक्ष्य' के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य यानी सतत विकास लक्ष्य (सतत विकास लक्ष्य-एसडीजी) और 169 प्रयोजन शामिल की गई। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2000 में सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (MDG) स्वीकार किए गए थे, लेकिन लक्ष्यों की गणना 1990 के



मानकों के अनुसार की गई थी। इन लक्ष्यों (सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों) को वर्ष 2015 के लिए अपनाया गया था। इसके अंतर्गत 8 लक्ष्य और 18 पहल शामिल किए गए थे। वर्ष 2015 में सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की समय अवधि पूरा होने के बाद सतत विकास लक्ष्य (SDG) की स्थापना की गई।

सतत विकास लक्ष्य का क्षेत्र गरीबी कम करना, कृषि, स्वस्थ जीवन, समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छता और सतत जल प्रबंधन, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास और उत्पादक रोजगार, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण, असमानता कम करना, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहरों और मानव बस्तियों का निर्माण, टिकाऊ उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन, समुद्री संसाधनों का संरक्षण, संरक्षित वन, भूमि क्षरण और जैव विविधता, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी से संबंधित जीवन के जीवंत क्षेत्र हैं।

सतत विकास लक्ष्य – 4 (एसडीजी-4) संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से एक हैं, जिनका उद्देश्य वर्ष 2030 तक दुनिया भर में गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और अन्य सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना है। इनमें से एसडीजी-4 (लक्ष्य 4) का फोकस शिक्षा पर है।

सतत विकास लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्य-4 (एसडीजी 4) है: समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी को सीखने के अवसर प्रदान करना।

‘समावेशी’: संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के अनुसार, समावेशी शिक्षा ‘एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षार्थियों की उपस्थिति, भागीदारी और उपलब्धि को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करती है।’ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2017). इसका लक्ष्य सभी के लिए ‘पूर्ण भागीदारी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अवसरों तक पहुंच’ सुनिश्चित करना है। UNESCO (2019)

‘समानता’: समावेशिता और समानता आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा में, समानता शब्द निष्पक्षता के सिद्धांत को संदर्भित करता है, जिसका तात्पर्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियाँ - उदाहरण के लिए लिंग, सामाजिक-आर्थिक स्थिति या जातीय मूल - शैक्षिक क्षमता को प्राप्त करने में बाधा नहीं हैं। Organisation for Economic Co-operation and Development (2008).

‘गुणवत्ता’: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ‘एक गतिशील अवधारणा है जो समय के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संदर्भ के साथ बदलती और विकसित होती है। UNESCO (2005).



यद्यपि हर संस्कृति और हर व्यक्ति के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक मानकों को परिभाषित करना असंभव है, यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष (यूनिसेफ) ने दो सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले संकेतक विकसित किए हैं। पहला, संज्ञानात्मक विकास प्राप्त करने में शिक्षा की प्रभावशीलता और दूसरा, रचनात्मक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने, शांति, नागरिकता और सुरक्षा के उद्देश्यों का समर्थन करने, समानता को बढ़ावा देने और वैश्विक और स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों को भावी पीढ़ियों तक पहुँचाने की शिक्षा की क्षमता। UNICEF and UNESCO (2007).

‘आजीवन शिक्षा’: सीखना ‘किसी विशिष्ट आयु (बचपन और किशोरावस्था) तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन भर जारी रहता है’। UNESCO, (2018) इसलिए, सीखने की शिक्षा हर आयु और लिंग के लिए उपलब्ध होनी चाहिए; सभी संदर्भों (परिवार, स्कूल, समुदाय, कार्यस्थल, आदि) में; सभी स्तरों (स्कूल से उच्च शिक्षा) को कवर करना चाहिए; और स्कूल से बाहर के शिक्षार्थियों को कवर करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए। World Education Forum (2000).

एसडीजी-4 (सतत विकास लक्ष्य-4) के अंतर्गत कुल 10 विशिष्ट लक्ष्य (Targets) हैं, जो शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं। ये लक्ष्य समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित हैं। इन लक्ष्यों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

1. सभी लड़कियों और लड़कों को 2030 तक मुफ्त, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी करने का अवसर प्रदान करना।
2. 2030 तक सभी लड़कियों और लड़कों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और प्री-प्राइमरी शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना, ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें।
3. 2030 तक सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा सहित आजीवन सीखने के अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित करना।
4. 2030 तक युवाओं और वयस्कों के लिए रोजगार, उचित काम और उद्यमिता के लिए प्रासंगिक कौशल (तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सहित) की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना।



5. 2030 तक शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल करना और सभी संवेदनशील समूहों (जैसे विकलांग व्यक्ति, आदिवासी समुदाय और संकटग्रस्त बच्चे) को सभी स्तरों पर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच प्रदान करना।
6. 2030 तक सभी युवाओं और वयस्कों में साक्षरता और संख्यात्मकता (Numeracy) सुनिश्चित करना।
7. 2030 तक सभी शिक्षार्थियों को सतत विकास, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, शांति और अहिंसा, वैश्विक नागरिकता और सांस्कृतिक विविधता के महत्व सहित सतत विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना।
 - (a) शिक्षा संस्थानों में बाल-अनुकूल, विकलांगता-सुलभ और सुरक्षित शिक्षण वातावरण का निर्माण करना, जिसमें बुनियादी सुविधाएँ (जैसे पानी, स्वच्छता और बिजली) उपलब्ध हों।
 - (b) 2020 तक विकासशील देशों, विशेषकर कम विकसित देशों और छोटे द्वीपीय देशों में छात्रवृत्तियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना।
 - (c) 2030 तक विकासशील देशों, विशेषकर कम विकसित देशों और छोटे द्वीपीय देशों में शिक्षकों की आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि करना। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करना।

II. भारत में एसडीजी-4 को प्राप्त करने की आवश्यकता:

भारत, दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के नाते, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रहा है। एसडीजी-4 (सतत विकास लक्ष्य-4) का उद्देश्य समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है, जो भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत में एसडीजी-4 को प्राप्त करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है:

1. शिक्षा तक पहुँच में असमानता

• ग्रामीण-शहरी असमानता :

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाएँ शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम हैं। स्कूलों की कमी, शिक्षकों की कमी और बुनियादी ढाँचे की कमी जैसी समस्याएँ ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक हैं।

• लैंगिक असमानता :

विशेषकर लड़कियों की शिक्षा तक पहुँच सीमित है, खासकर ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में।



2. **शिक्षा की गुणवत्ता में कमी**
 - **शिक्षण स्तर:**

भारत में कई स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता निम्न स्तर की है। छात्रों का सीखने का स्तर (अधिगम प्रतिफल) अक्सर अपेक्षाओं से कम होता है।
 - **शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण:**

शिक्षकों की कमी और उनके अपर्याप्त प्रशिक्षण से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
3. **बाल श्रम और स्कूल छोड़ने की दर**
 - **बाल श्रम:**

भारत में बाल श्रम एक बड़ी समस्या है, जो बच्चों की शिक्षा तक पहुँच को सीमित करता है।
 - **स्कूल छोड़ने की दर:**

विशेषकर माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर (अपव्यय दर) अधिक है, जो गरीबी, सामाजिक मानदंडों और शिक्षा की प्रासंगिकता की कमी के कारण होती है।
4. **समावेशी शिक्षा की आवश्यकता**
 - **वंचित समूहों तक पहुँच:**

विकलांग बच्चों, आदिवासी समुदायों और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
 - **लैंगिक समानता:**

लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है।
5. **कौशल विकास और रोजगार**
 - **युवाओं के लिए कौशल विकास:**

भारत में युवाओं की बड़ी आबादी है, जिन्हें रोजगार-उन्मुख कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
 - **शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई:**

शिक्षा प्रणाली और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच समन्वय की कमी है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते।
6. **डिजिटल विभाजन**
 - **डिजिटल शिक्षा तक पहुँच:**

कोविड-19 महामारी ने डिजिटल शिक्षा के महत्व को उजागर किया है, लेकिन ग्रामीण और



गरीब परिवारों के बच्चों के लिए इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों तक पहुँच एक बड़ी चुनौती है।

7. आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति

- **शिक्षा और आर्थिक विकास:**

शिक्षा आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन का आधार है। एक शिक्षित समाज ही देश के विकास में योगदान दे सकता है।

- **सामाजिक प्रगति:**

शिक्षा सामाजिक असमानताओं को कम करने, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद करती है।

8. वैश्विक प्रतिबद्धताएँ

- **एसडीजी-4 की वैश्विक प्रतिबद्धता:**

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को अपनाया है, जिसमें एसडीजी-4 शामिल है। इस लक्ष्य को प्राप्त करना भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

भारत में एसडीजी-4 को प्राप्त करना न केवल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह देश के सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार, समुदाय और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग आवश्यक है।

III. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का परिचय और इसका महत्व

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy - NEP) 2020 शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के लिए एक ऐतिहासिक नीति है। यह नीति 34 वर्षों के बाद आई है, क्योंकि इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। एनईपी 2020 का उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना और देश को एक ज्ञान-आधारित समाज में बदलना है। यह नीति शिक्षा के सभी स्तरों (प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा) को कवर करती है।

एनईपी 2020 का परिचय

- **लॉन्च की तारीख:** 29 जुलाई 2020

- **मुख्य उद्देश्य:**

- समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।



- भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति (Global Knowledge Superpower) बनाना।
- शिक्षा प्रणाली में लचीलापन, बहु-विषयक दृष्टिकोण और नवाचार को बढ़ावा देना।

एनईपी 2020 के प्रमुख प्रावधान

1. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE):

- 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री-स्कूल शिक्षा को मजबूत करना।
- आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूलों के बीच समन्वय स्थापित करना।

2. स्कूली शिक्षा में सुधार:

- नई संरचना (5+3+3+4):
 - फाउंडेशनल स्टेज (3-8 वर्ष), प्रिपरेटरी स्टेज (8-11 वर्ष), मिडल स्टेज (11-14 वर्ष) और सेकेंडरी स्टेज (14-18 वर्ष)।
- मातृभाषा में शिक्षा:
 - कक्षा 5 तक मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षा पर जोर।
- डिजिटल शिक्षा:
 - प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना।

3. उच्च शिक्षा में सुधार:

- बहु-विषयक शिक्षा:
 - छात्रों को विभिन्न विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता।
- उच्च शिक्षा संस्थानों का सशक्तिकरण:
 - विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना।
- एकल नियामक (Single Regulator):
 - उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक (HECI - Higher Education Commission of India) की स्थापना।

4. व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास:

- कौशल-आधारित शिक्षा:
 - छात्रों को रोजगार-उन्मुख कौशल प्रदान करना।
- इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग:
 - कक्षा 6 से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करना।



5. समावेशी शिक्षा:

- वंचित समूहों के लिए समर्थन:
 - विकलांग छात्रों, आदिवासी समुदायों और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान।
- लैंगिक समानता:
 - लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना।

6. शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:

- शिक्षकों का पेशेवर विकास:
 - शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

IV. एनईपी 2020 का महत्व

1. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार:

- एनईपी 2020 शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और छात्रों के सीखने के स्तर (Learning Outcomes) में सुधार करने पर केंद्रित है।

2. समावेशी और समान शिक्षा:

- यह नीति सभी वर्गों, विशेषकर वंचित समूहों के लिए शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करती है।

3. रोजगार-उन्मुख शिक्षा:

- कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देकर यह नीति युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करती है।

4. भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना:

- एनईपी 2020 का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

5. नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग:

- डिजिटल शिक्षा और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देकर यह नीति शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाती है।

6. सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखण:

- एनईपी 2020 एसडीजी-4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास करती है। यह नीति समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ



भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदायों के बीच सहयोग आवश्यक है।

V. एनईपी 2020 के प्रमुख प्रावधान:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के लिए एक ऐतिहासिक नीति है। यह नीति शिक्षा के सभी स्तरों (प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा) को कवर करती है और 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को बदलने का प्रयास करती है। एनईपी 2020 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

1. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE)

• उद्देश्य:

3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल सुनिश्चित करना।

• प्रावधान:

- आंगनवाड़ी और प्री-स्कूल शिक्षा को मजबूत करना।
- प्रारंभिक शिक्षा को स्कूली शिक्षा के साथ एकीकृत करना।

2. स्कूली शिक्षा में सुधार

• नई शिक्षा संरचना (5+3+3+4):

• फाउंडेशनल स्टेज (3-8 वर्ष):

प्री-स्कूल से कक्षा 2 तक, जिसमें खेल-आधारित शिक्षा पर जोर।

• प्रिपरेटरी स्टेज (8-11 वर्ष):

कक्षा 3 से 5 तक, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर ध्यान।

• मिडल स्टेज (11-14 वर्ष):

कक्षा 6 से 8 तक, जिसमें विषय-आधारित शिक्षा शुरू होती है।

• सेकेंडरी स्टेज (14-18 वर्ष):

कक्षा 9 से 12 तक, जिसमें छात्रों को विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता होगी।

• मातृभाषा में शिक्षा:

• कक्षा 5 तक मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षा पर जोर।

• डिजिटल शिक्षा:

• प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना।

• बोर्ड परीक्षाओं में सुधार:

• बोर्ड परीक्षाओं को अधिक लचीला और कौशल-आधारित बनाना।



3. उच्च शिक्षा में सुधार

• बहु-विषयक शिक्षा:

- छात्रों को विभिन्न विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता।
- कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक शिक्षा के बीच कोई कठिन विभाजन नहीं।

• उच्च शिक्षा संस्थानों का सशक्तिकरण:

- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना।

• एकल नियामक (Single Regulator):

- उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक (HECI - Higher Education Commission of India) की स्थापना।

• क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम:

- छात्रों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में क्रेडिट ट्रांसफर करने की सुविधा।

4. व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास

• कौशल-आधारित शिक्षा:

- छात्रों को रोजगार-उन्मुख कौशल प्रदान करना।
- कक्षा 6 से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करना।

• इंटरनशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग:

- छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए इंटरनशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रम।

5. समावेशी शिक्षा

• वंचित समूहों के लिए समर्थन:

- विकलांग छात्रों, आदिवासी समुदायों और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान।

• लैंगिक समानता:

- लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना।

6. शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

• शिक्षकों का पेशेवर विकास:

- शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
- शिक्षकों की योग्यता और प्रशिक्षण मानकों को बढ़ाना।



7. डिजिटल शिक्षा और प्रौद्योगिकी

- **डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर:**
 - डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग।
 - ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म और डिजिटल संसाधनों का विकास।

8. वित्तीय संसाधन और निवेश

- **शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय:**
 - शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 6% तक निवेश करने का लक्ष्य।

9. अन्य प्रमुख प्रावधान

- **राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (NEC):**
 - शिक्षा नीति और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक नया आयोग स्थापित करना।
- **मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम:**
 - उच्च शिक्षा में छात्रों को पाठ्यक्रम के बीच में प्रवेश और निकास की सुविधा।

एनईपी 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास करती है। यह नीति समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदायों के बीच सहयोग आवश्यक है।

VI. एसडीजी-4 और एनईपी 2020: संरेखण:

सतत विकास लक्ष्य-4 (एसडीजी-4) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 दोनों का उद्देश्य समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। एनईपी 2020 को एसडीजी-4 के लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि भारत में शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जा सके। नीचे दिए गए बिंदुओं में एसडीजी-4 और एनईपी 2020 के बीच संरेखण को विस्तार से समझाया गया है:

1. समावेशी और समान शिक्षा

- **एसडीजी-4 का लक्ष्य:**

सभी के लिए समान और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना, विशेषकर वंचित समूहों (जैसे लड़कियों, विकलांगों और आदिवासी समुदायों) के लिए।
- **एनईपी 2020 का संरेखण:**
 - वंचित समूहों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे विकलांग छात्रों के लिए समर्थन और आदिवासी समुदायों के लिए शिक्षा योजनाएँ।



- लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कदम, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का विस्तार।

2. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल (ECCE)

- **एसडीजी-4 का लक्ष्य:**

सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित करना।

- **एनईपी 2020 का संरेखण:**

- 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री-स्कूल शिक्षा को मजबूत करना।
- आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूलों के बीच समन्वय स्थापित करना।

3. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच

- **एसडीजी-4 का लक्ष्य:**

सभी बच्चों को मुफ्त, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना।

- **एनईपी 2020 का संरेखण:**

- नई 5+3+3+4 शिक्षा संरचना के माध्यम से स्कूली शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाना।
- मातृभाषा में शिक्षा पर जोर, विशेषकर कक्षा 5 तक।

4. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

- **एसडीजी-4 का लक्ष्य:**

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और छात्रों के सीखने के स्तर (Learning Outcomes) को बढ़ाना।

- **एनईपी 2020 का संरेखण**

- शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर जोर।
- डिजिटल शिक्षा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाना।
- छात्रों के सीखने के स्तर को मापने के लिए नियमित मूल्यांकन।

5. कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण

- **एसडीजी-4 का लक्ष्य**

युवाओं और वयस्कों के लिए रोजगार-उन्मुख कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।



• **एनईपी 2020 का संरेखण:**

- कक्षा 6 से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करना।
- इंटरनेट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को शामिल करना।

6. आजीवन सीखने के अवसर

• **एसडीजी-4 का लक्ष्य**

सभी उम्र के लोगों के लिए आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करना।

• **एनईपी 2020 का संरेखण**

- उच्च शिक्षा में बहु-विषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
- ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करना।

7. लैंगिक समानता और समावेशन

• **एसडीजी-4 का लक्ष्य:**

शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल करना और सभी संवेदनशील समूहों को शिक्षा तक पहुँच प्रदान करना।

• **एनईपी 2020 का संरेखण:**

- लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएँ।
- विकलांग छात्रों और आदिवासी समुदायों के लिए समावेशी शिक्षा प्रावधान।

8. शिक्षा के लिए बुनियादी ढाँचा और संसाधन

• **एसडीजी-4 का लक्ष्य:**

शिक्षा संस्थानों में बाल-अनुकूल, विकलांगता-सुलभ और सुरक्षित शिक्षण वातावरण का निर्माण करना।

• **एनईपी 2020 का संरेखण:**

- स्कूलों में बुनियादी सुविधाएँ (जैसे पानी, स्वच्छता और बिजली) उपलब्ध कराना।
- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना।

एसडीजी-4 और एनईपी 2020 दोनों का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। एनईपी 2020 के प्रावधान एसडीजी-4 के लक्ष्यों के साथ पूरी तरह संरेखित हैं, जो भारत को 2030 तक एसडीजी-4 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए प्रभावी कार्यान्वयन, पर्याप्त संसाधन और सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।



VII. एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी नीति है। हालांकि, इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं, जो इसके सफलता को प्रभावित कर सकती हैं। इन चुनौतियों को निम्नलिखित श्रेणियों में समझा जा सकता है:

1. वित्तीय संसाधनों की कमी

- **शिक्षा पर अपर्याप्त निवेश:**

एनईपी 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 6% निवेश करने का लक्ष्य है, लेकिन वर्तमान में यह लगभग 4.6% है।

- **संसाधनों का असमान वितरण:**

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संसाधनों का असमान वितरण एक बड़ी चुनौती है।

2. बुनियादी ढाँचे की कमी

- **स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव:**

कई स्कूलों में पानी, बिजली, शौचालय और डिजिटल उपकरणों की कमी है।

- **प्री-स्कूल शिक्षा के लिए ढाँचा:**

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ECCE) के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का अभाव है।

3. शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण

- **शिक्षकों की कमी:**

कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।

- **शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण:**

शिक्षकों को नई शिक्षा पद्धतियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

4. भाषाई और सांस्कृतिक विविधता

- **मातृभाषा में शिक्षा:**

भारत की भाषाई विविधता के कारण मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है।

- **पाठ्यक्रम का स्थानीयकरण:**

स्थानीय संदर्भों के अनुसार पाठ्यक्रम को अनुकूलित करना एक जटिल कार्य है।

5. डिजिटल विभाजन

- **डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट तक पहुँच:**

ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट तक पहुँच एक बड़ी समस्या है।



- **डिजिटल साक्षरता:**
शिक्षकों और छात्रों में डिजिटल साक्षरता का अभाव है।
- 6. **सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ**
 - **लैंगिक असमानता:**
लड़कियों की शिक्षा तक पहुँच सीमित है, विशेषकर ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में।
 - **बाल श्रम और स्कूल छोड़ने की दर:**
गरीबी और सामाजिक मानदंडों के कारण बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं।
- 7. **नीति कार्यान्वयन में समन्वय की कमी**
 - **केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय:**
शिक्षा एक समवर्ती विषय है, इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की कमी एक बड़ी चुनौती है।
 - **स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन:**
स्थानीय स्तर पर नीति को लागू करने में प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियाँ हैं।
- 8. **मूल्यांकन और निगरानी**
 - **प्रगति की निगरानी:**
नीति के कार्यान्वयन की प्रगति को मापने और निगरानी करने के लिए एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता है।
 - **डेटा संग्रह और विश्लेषण:**
शिक्षा से संबंधित डेटा का संग्रह और विश्लेषण एक चुनौती है।
- 9. **शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार**
 - **सीखने के स्तर (Learning Outcomes):**
छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार करना एक बड़ी चुनौती है।
 - **पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में बदलाव:**
पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों से आधुनिक और व्यावहारिक पद्धतियों में बदलाव करना एक जटिल कार्य है।
- 10. **COVID-19 का प्रभाव**
 - **महामारी के कारण शिक्षा में व्यवधान:**
COVID-19 महामारी ने शिक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिससे डिजिटल विभाजन और सीखने की कमी जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।



एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें वित्तीय संसाधनों की कमी, बुनियादी ढाँचे का अभाव, शिक्षकों की कमी, डिजिटल विभाजन और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ शामिल हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदायों के बीच सहयोग आवश्यक है। साथ ही, नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधन, तकनीकी सहायता और निगरानी तंत्र की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास करती है और सतत विकास लक्ष्य-4 (एसडीजी-4) के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एनईपी 2020 के प्रावधान, जैसे समावेशी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और डिजिटल शिक्षा, एसडीजी-4 के उद्देश्यों के साथ पूरी तरह संरेखित हैं। यह नीति शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला, समावेशी और प्रासंगिक बनाने का प्रयास करती है, जो भारत को एक ज्ञान-आधारित समाज में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हालांकि, एनईपी 2020 के सफल कार्यान्वयन के लिए कई चुनौतियाँ हैं, जैसे वित्तीय संसाधनों की कमी, बुनियादी ढाँचे का अभाव, शिक्षकों की कमी, डिजिटल विभाजन और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार, शिक्षकों, अभिभावकों, समुदायों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग आवश्यक है। सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी और समन्वय से ही इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।

भविष्य में शिक्षा प्रणाली को और अधिक समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं:

1. संसाधनों का पर्याप्त आवंटन:

शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 6% निवेश करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वित्तीय संसाधनों का पर्याप्त आवंटन किया जाना चाहिए।

2. शिक्षकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:

शिक्षकों को नई शिक्षा पद्धतियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

3. डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा:

डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट तक पहुँच को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।



4. **समावेशी शिक्षा को मजबूत करना:**

वंचित समूहों, जैसे विकलांग छात्रों, आदिवासी समुदायों और लड़कियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।

5. **निगरानी और मूल्यांकन:**

नीति के कार्यान्वयन की प्रगति को मापने और निगरानी करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

इन सुझावों को लागू करके भारत की शिक्षा प्रणाली को और अधिक समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है, जो एसडीजी-4 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

संदर्भ (References)

- Organisation for Economic Co-operation and Development (2008). Ten Steps to Equity in Education, Policy Brief. [online]. Available at: <http://www.oecd.org/education/school/39989494.pdf>
- UNESCO (2005). Contributing to a More Sustainable Future: Quality Education, Life Skills and Education for Sustainable Development. [online]. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141019>
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2017). A Guide for ensuring inclusion and equity in education. [online] p. 7. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248254>
- UNESCO, (2018). Recognition, validation and accreditation of youth and adult basic education as a foundation of lifelong learning. [online]. Available at: <https://bit.ly/3mg7kt1>
- UNESCO (2019). Cali commitment to equity and inclusion in education. [online]. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370910>
- UNICEF and UNESCO (2007). A Human Rights-Based Approach to Education for All. [online]. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000154861>
- UNESCO Institute for Lifelong Learning (2014). Technical Note on Lifelong Learning. Online Available at: <https://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/en/UNESCOTechNotesLLL.pdf>

Websites links:

<https://www.right-to-education.org>

<https://sdgs.un.org/goals>

<https://india.un.org/en/sdgs>

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf